न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–771/2026</u>
UPAD010021712026

प्रद्युम्न कुमार यादव पुत्र छोटे लाल निवासी धनंजैया पूरेकांटा, थाना हण्डिया, जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–274/2025
अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2) 109(1),110, 131 117(2) बी.एन.एस.
धारा–3(1)(द)3(1)(ध), 3(2)(V)ए,
3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट
<u>थाना–हण्डिया जनपद प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–17.03.2026</u>

जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त प्रद्युम्न कुमार यादव की ओर से मु0अ0सं0–274/2025, अन्तर्गत धारा–191(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1),110, 131 117(2) बी.एन.एस. व धारा–3(1)(द)3(1)(ध),3(2)(V)ए, 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–हण्डिया, जनपद–प्रयागराज, में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से उदयभान द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जयनाथ द्वारा दिनांक 18.05.2025 को समय 23.33 बजे, थाना हण्डिया में इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि वह अनुसूचित जाति (चमार) समुदाय का व्यक्ति है और अपने उक्त ग्राम का वर्तमान प्रधान है। उसके परिवार से दिनांक–17.05.2025 को बारात ग्राम बीरापुर धोबहा, थाना हण्डिया, जनपद प्रयागराज में गयी हुई थी। रात मनोर ंजन क` लिए उसने बारात में आरकेस्ट्रा किया था। जैसे ही आरकेस्ट्रा शुरू हुआ वैसे ही घरात के गांव के दबंग यादव लोग स्टेज पर चढ़ कर नाचने लगे और आरकेस्ट्रा पार्टी को परेशान करने लगे रात करीब 2.00 बजे उसके द्वारा मना करने पर विपक्षी रामेश्वर यादव व 5 लोग रामेश्वर के साथी (नाम अज्ञात) उसे व पूरे बराती को गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहने लगे चमार साले जैसा मै कहू ंगा वैसा होगा। उसके व बराती के विरोध करने पर उक्त दबंग यादव जो पिछड़ी जाति के सदस्य हैं और निवासी ग्राम बीरापुर धोबहा के रहने

वाले हैं उक्त विपक्षीगण एक राय होकर हाथ में लाठी डन्डा लेकर निहत्थे उसे व उसके परिवार पर हमला कर दिये। बीच बचाव करने गौरव कुमार पुत्र जयनाथ पहुंचा तो विपक्षी गम्भीर रूप से लाठी से वार कर दिये जिससे गौरव कुमार का सिर फट गया और लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा व संदीप कुमार के कान, पीठ, पैर व उसके दोनों गुठने, कन्धे व हथेली में व सुजित कुमार के होंठ, सिर, पैर, व अंकित कुमार के पूरे शरीर में गम्भीर अन्दरूनी चोट लगी है व लाल साहब के सीने, सिर, पीठ में गम्भीर चोट लगी है। उक्त विपक्षी लोग कई मोटर साईकिल से आये थे। एक मोटर साइकिल वाले को जिसका नं0 यू0पी0 70 सीसी 0365 है। वह पकड़ने में सफल रहा। उक्त लोग जान से मारने पर उतारू थे। जहां विपक्षियो ने उसके सहित पूरे परिवार को मारा–पीटा वहीं पूरी बरात की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उक्त तहरीर के आधार पर रामेश्वर यादव एव ं 5 अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियोजन कहानी मनगढ़ंत ढ़ंग से तैयार की गयी है। उसका कोई विशिष्ट रोल नहीं बताया गया है। आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। सह–अभियुक्तगण रामेश्वर यादव, विकास गौतम एवं अनुज की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय। वादी को नोटिस निर्गत किया गया, जो तामील हुआ है, उसके उपरांत भी वादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर वादी तथा उसके लड़के गौरव एवं अन्य लोगों को जान से मारने की नियत से लाठी–डंडों से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाने तथा भद्दी–भद्दी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। पत्रावली पर उपलब्ध चोटहिलगण की सिटी स्कैन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी चोटहिल को कोई प्राणघातक चोटें आना उल्लिखित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक–19.02.2026 को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है, अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण में सह–अभियुक्तगण नीरज यादव एवं रामेश्वर यादव एवं अनुज की जमानत

समकक्षीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उक्त अभियुक्त की भूमिका भी अन्य सह–अभियुक्त के समान है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त प्रद्युम्न कुमार यादव का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–50000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो संतोषप्रद प्रतिभूगण दाखिल करने पर, उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।
3. आवेदक/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

दिनांक–17.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।